प्रेस नोट - मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक-16.11.2026

ऑपरेशन कन्विक्शनः- शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी

नाबालिग पुत्री के अपहरण के मामले में दोषी अभियुक्त को कुल 05 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली महोदय एवं श्री मुनिराज जी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना तिलहर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों एवं कुल 07 गवाहों को समयबद्व रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष द्वारा पैरवी सुनिश्चित की गई। जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-43 कोर्ट, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त हलबन्त पुत्र गुलाब सिंह को धारा 363,366 भादवि के तहत दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास और कुल रू10,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

शाहजहाँपुर पुलिस की निरंतर पैरवी से नाबालिग को मिला न्यायः-

दिनांक 03.06.2014 को वादिनी द्वारा थाना तिलहर पर लिखित सूचना दी गई कि अभियुक्त हलबन्त पुत्र गुलाब सिंह निवासी गोबरसंडा थाना तिलहर द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री (उम्र 15 वर्ष) शौच के लिए खेत पर गयी थी, अभियुक्त बलवन्त द्वारा अपहरण कर लिया गया। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना तिलहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। वादिनी की सूचना के आधार पर थाना तिलहर पर मु0अ0सं0 495/2014 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन विवेचक उ0प्र0 श्री रामनरेश द्वारा कि गई। विवेचक द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण भौतिक, वैज्ञानिक और मौखिक साक्ष्यों को एकत्रित किया गया और त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 14.07.2014 को आरोप पत्र संख्या 142/2014 माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया। विचारण के दौरान थाना तिलहर पुलिस, मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार का0 विनोद कुमार एवं अभियोजन विभाग द्वारा पैरवी करते हुए कुल 07 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ए0डी0जे0 कोर्ट द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास और कुल रू10,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरणः-

- हलबन्त पुत्र गुलाब सिंह, निवासी गोबरसंडा, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण का विवरणः-

मु0अ0सं0 495/2014 धारा 363,366 भादवि थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर प्रकरण में अभियुक्त बलवन्त पुत्र गुलाब सिंह निवासी गोबरसंडा थाना तिलहर जिला शाहजहाँपुर द्वारा वादिनी की नाबालिग की पुत्री को अपहरण कर ले जाने का आरोप था। विचारण के दरौन थाना तिलहर पुलिस, मॉनीटरिंग सेल, पैरोकार का0 विनोद कुमार एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए कुल 07 गवाहों में से 07 महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ए0डी0जे0कोर्ट द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास और कुल रू10,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धताः-

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधो में अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हे कठोर दण्ड दिलाने का अभियान निरन्तर जारी है ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से अपराधियों में कानून का भय एवं आमजन में सुरक्षा का विष्वास कायम करने की दषा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।